International Journal of Home Science 2019; 5(3): 144-146

ISSN: 2395-7476
IJHS 2019; 5(3): 144-146
© 2019 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 16-07-2019
Accepted: 17-08-2019

रेखा
शोध छात्र गृह विज्ञान
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त)
विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

अजरा अजाज
सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान),
राजकीय गर्ल्स पीजी कालेज
छिंदवाडा, मध्य प्रदेश, भारत

नीलमा कुँवर
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence
रेखा
शोध छात्र गृह विज्ञान
मध्य प्रदेश भोज (मुक्त)
विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

स्वयं सहायता समूह और सशक्तीकरण के लक्ष्य

रेखा, अजरा अजाज, नीलमा कुँवर

सारांश
स्वयं सहायता समूह का गठन सामाजिक एकीकरण का एक संगठन आधारित दृष्टिकोंण है जो लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न है। यह समूह संगठन किसी लक्ष्य से बंधे हुए नहीं होते हैं। ये पूर्णतः स्वयं की सहायता स्वयं करने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। स्वयं सहायता समूह ऐसे गरीब लोगों का समूह है जिनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। ये लोग अपनी इच्छा से एक समूह में संगठित होकर अपने सदस्यों की गरीबी दूर करने का संकल्प लेते हैं। सामूहिक विकास सम्बन्धी चर्चा करते हैं, योजना बनाते हैं, इस हेतु वे आपसी विचार–विमर्श करते हैं कि सभी सदस्य एक निश्चित राशि नियमित रूप से बचत कर एक साधारण कोष बनाते हैं। उसका प्रबन्धन स्वयं मिलकर करते हुए जरूरतमंद सदस्यों को आवश्यकतानुसार ऋण का लेनदेन भी करते हैं।

कुट शब्दः स्वयं सहायता समूह, लक्ष्य, सशक्तीकरण

प्रस्तावना
स्वयं सहायता समूह ने केवल महिलाओं में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि स्थिति को विश्लेषण योग्य बनाते हैं। वे परिवार की प्रगति के बाधक तत्वों को समझने लगती है। जब महिलायें स्वयं कार्य करने लगती हैं तो उनमें आत्म विश्वास आने लगता है। यह उनके सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया से महिलाओं में संप्रेषण वार्तालाप और निर्णय योग्यता का विकास होता है जिससे वे सभी एजेन्सियों (बैंक) के साथ काम करती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक कौशल सीखने एवं शिक्षित होने का अवसर मिलता है जिससे वे सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं के स्टाफ के साथ बैठकों में आना–जाना प्रारम्भ कर देती हैं इस तरह समूह उनके विकास कार्यक्रम में सहायता कर सकता है। महिला आत्मनिर्भर हो सके ताकि घर तथा समुदाय दोनों ही जगह महिलाओं को बातचीत कर पाने में शक्ति प्रदान हो सके। स्वयं सहायता समूह से देश में ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इन स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक ओर रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हो रही है वहीं दूसरी ओर समाज के सभी वर्गों में आय का समान वितरण हो रहा है। गाँव में स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके गरीब लोग अपनी आजीविका के साधन जुटा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के कारण इन्हें सेठ–साहूकार व महाजनों के चुगुल से बचने का रास्ता मिला है। रोजगार के नये–नये साधनों के कारण प्रति व्यक्ति आय में एवं सगल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी वृद्धि हो रही है। इन समूहों द्वारा बच्चों को शिक्षा, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, स्वच्छता अभियान, पोषाहार, मिड–डे–मील, परिवार कल्याण कार्यक्रम, शराबबंदी, नशा बंदी, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह के कारण देश में गरीबों को स्वावलंबन की प्राप्ति हुई है एवं उनकी जागृति के कारण समाज में सुधार हो रहा है जो अपने आप में एक मिसाल है। आज जरूरत है इन स्वयं सहायता समूहों को और अधिक ढ़ंग से पोषित करने की ताकि ये नये समाज का निर्माण कर सकें।

उद्देश्य
- स्वयं सहायता समूह में संलग्न महिलाओं की व्यवसायिक संतुष्टि को ज्ञात करना।
- प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की जानकारी एवं उपयोगिता ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति
शोध अध्ययन हेतु होशंगाबाद जिला का चुनाव किया गया है। इसी जिले से 20 स्वयं सहायता समूह लिए गए हैं तथा 300 निदर्श पर अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में साख्यिकीय टूल, 'टी' टेस्ट, प्रमाण विचलन तथा मध्यमान का उपयोग किया गया है।

परिणाम

सारिणी 1: आयु

क0सं0	आयु (वर्ष)	संख्या	प्रतिशत
1.	18–25	90	30.0
2.	26–35	117	39.0
3.	36–35	66	22.0
4.	45 वर्ष से अधिक	27	9.0
	कुल	300	100.0

प्रमाण विचलन = 53.45
प्रमाप विचलन गुणांक = 0.71

उपरोक्त तालिका चयनित समूह के सदस्यों की आयु को दर्शाती है, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि चयनित समूहों में 30.0 प्रतिशत सदस्यों की आयु 18–25 वर्ष के बीच थी, इसी प्रकार 39.0 प्रतिशत सदस्यों की आयु 26–35 वर्ष के बीच पायी गयी, 22.0 प्रतिशत सदस्यों की आयु 36–45 वर्ष के मध्य थी तथा 9.0 प्रतिशत सदस्यों की आयु 45 वर्ष से अधिक थी।

सारिणी 2: स्वयं सहायता समूह के गठन की अवधि

क0सं0	स्वयं सहायता समूह के गठन की अवधि (वर्ष)	संख्या	प्रतिशत
1.	1–3	78	26.0
2.	3–5	141	47.0
3.	5–7	54	18.0
4.	7 वर्ष से अधिक	27	9.0
	कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका स्वयं सहायता समूह के गठन की अवधि को दर्शाती है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि 26.0 प्रतिशत समूहों का गठन 1–3 वर्ष पूर्व, 47.0 प्रतिशत समूहों का गठन 3–5 वर्ष पूर्व, 18.0 प्रतिशत समूह ऐसे हैं जिनका गठन 5–7 वर्ष तथा 9.0 प्रतिशत समूहों का गठन 7 वर्ष से पूर्व किया गया था।

सारिणी 3: स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण

क0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	50 प्रतिशत	0	0
2.	50 प्रतिशत से अधिक	0	0
3.	सभी सदस्य	300	100.0
	कुल	300	100.0

आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सभी शत् प्रतिशत समूह के सदस्य अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

सारिणी 4: स्वयं सहायता समूह द्वारा अपनाये गये व्यवसाय

क0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना	15	5.0
2.	खाद्य प्रसंस्करण/मसाला उद्योग	57	19.0
3.	पशुपालन/कुक्कुट पालन	9	3.0
4.	सिलाई/कशीदाकारी/जरी वर्क	63	21.0
5.	दोने पत्तल बनाना	18	6.0
6.	मशरूम उत्पादन	12	4.0
7.	मतस्य पालन	18	6.0
8.	नर्सरी/खेती	46	15.0
9.	अन्य	63	21.0
	कुल	300	100.0

प्रमाप विचलन = 26.72
प्रमाप विचलन गुणांक = 1.78

उपरोक्त तालिका द्वारा समूहों के सदस्यों के स्वरोजगार/व्यवासय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि 5.0 प्रतिशत समूहों ने स्वरोजगार का माध्यम अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, 19.0 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण/मसाला उद्योग, 3.0 प्रतिशत पशुपालन/कुक्कुट उद्योग पालन, 21.0 प्रतिशत सिलाई/ कशीदाकारी/जरी वर्क, 6.0 प्रतिशत दोने पत्तल बनाना, 4.0 प्रतिशत मशरूम उत्पादन, 6.0 प्रतिशत मतस्य पालन, 15.0 प्रतिशत नर्सरी/खेती एवं 21.0 प्रतिशत ने अन्य व्यवसायों का चयन किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक समूह के सदस्यों ने सिलाई/कशीदाकारी/जरी वर्क को स्वरोजगार का माध्यम बनाया है क्योंकि यह व्यवसाय सुगमता से संचालित किया जा सकता है, जबकि अन्य व्यवसायों के संचालन हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती है।

सारिणी 5: स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सामाजिक स्थिति में सुधार

क0सं0	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	संतोशप्रद	172	57.3
2.	असंतोशप्रद	16	5.3
3.	अच्छा	71	23.6
4.	बहुत अच्छा	41	13.6
	कुल	300	99.8

प्रमाप विचलन गुणांक = 1.78

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 57.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संतोष प्रगट किया, 5.3 प्रतिशत ने आर्थिक स्थिति में सुधा के प्रति असंतोष बताया वहीं 23.6 प्रतिशत ने आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में अच्छा बताया और 13.6 प्रतिशत समूहों के सदस्यों ने बताया कि समूहों से जुड़ने के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गयी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूहों के अधिकांश सदस्यों की आर्थिक स्थिति में समूह से जुड़ने के पश्चात अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं को घर के बाहर निकलकर अन्य लोगों के साथ उठने–बैठने एवं सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इन महिलाओं को विभिन्न स्तर पर अनेक प्रकार के लोगों के साथ बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जहां पहले ये हिलायें बैंक शाखा में प्रवेश करने की सोच भी नहीं पाती थीं, वहीं अब ये बड़ी आसानी से न केवल बैंक शाखाओं में बाराबर आती जाती है बल्कि बैंक की विभिन्न गतिविधियों में भाग भी लेती हैं। सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन से ये महिलायें अपने अधिकारों के बारे में प्रभावशाली ढ़ंग से बातचीत कर पाती हैं। ग्राम स्तर पर इन महिलाओं को सामाजिक पहचान मिली है एवं अब लिए जाने वाले समूह एवं पारिवारिक निर्णयों में इनकी भागीदारी बढ़ी है। समूह के सदस्यों के साथ मिल–बैठकर सुख–दुख की चर्चा करने से जहाँ एक ओर सामाजिक एकता का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर छोटी–छोटी बचत निधि का रिकार्ड रखना, समूह के खाते बनाना, समूह के बैठक की कार्यवाही लिखना, सदस्यों को ऋण देने का निर्णय करना, ऋण की वसूली करना एवं बैंकों से बराबर तालमेल रखना अब इन महिला सदस्यों को बखूबी आ गया है। देश में कई स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य तो मलेशिया व बांग्लादेश तक विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेकर आई हैं जिसे वे अपने जीवन में एक महान उपलब्धि मानती हैं।

सुझाव

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय हेतु प्रायः कोई भी बाजार उपलब्ध नहीं होता है और न ही सरकारी स्तर पर उनके उत्पादित वस्तुओं के खरीदने की कोई व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में एनजीओ तथा सरकारी एजेन्सी को उनके उत्पादित माल की बिक्री की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके अन्यथा उनकी रूचि व्यवसायिक गतिविधियों में कम हो जाती है जिससे उनकी आर्थिक प्रगति रूक जाती है।
2. स्वयं सहायता समूहों के निरक्षर एवं अशिक्षित सदस्यों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास हो सके।
3. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रबंधकीय क्षमता एवं नेतृत्व की कुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें पंचायती राज के विभिन्न कार्यक्रमों एवं चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि सही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके।

संदर्भ

1. Mitra, Jyoti. Women and Society – Equality and Empowerment, Kanishka Publishers, New Delhi, 1997.
2. Swarnalatha EV. Empowerment of Women thought Self Help Groups, Discovery Publishing House, New Delhi, 1997.
3. Shanthi K. (ed.) Empowerment of Women. Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 1998.